

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 53/2/2011/यो/19/2822 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त, 2022

//आदेश//

क्रमांक एफ-3/02/2022/यो/19 : मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.10.2011 एवं आदेश दिनांक 02.05.2016 के द्वारा निविदा में अव्यवहारिक दरों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, ऐसी निविदाओं, जिनमें निविदा दर 15 प्रतिशत से कम भी आती है, उनमें अनुबन्ध के पूर्व सफलतम निविदाकार (L-1) ठेकेदार से अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी (Additional Performance Gaurantee) लिये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं। वर्तमान में विभाग में प्रचलित निविदा प्रपत्र 2.10 की बिड डाटा शीट की कंडिका 22 में अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी (Additional Performance Gaurantee) के संबंध में प्रावधान प्रमुख अभियंता द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी (Additional Performance Gaurantee) की राशि की गणना सफलतम निविदाकार (L-1) द्वारा प्रस्तुत एस.ओ.आर. से कम दर एवं 15 प्रतिशत से अधिक कम दर के अन्तर के प्रतिशत को Contract Amount (अनुबंधित राशि) से गुणा करके किया जा रहा है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा, पूर्व में अतिरिक्त परफारमेंस गारण्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि की गणना के संबंध में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है:-

2(i) लागू एस.ओ.आर की तुलना में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर (L-1) 10 प्रतिशत से अधिक नीचे (more than ten Percent below) होने पर निविदा दर पर अव्यवहारिक दर (unworkable rates) माना जावेगा। अव्यवहारिक दरें (unworkable rates) प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार (L-1) से प्राप्त निविदा राशि (ContractAmount) एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम की निविदा राशि (Cost of PAC @ 10 percent below) के अन्तर की राशि अतिरिक्त परफारमेंस गारण्टी (Additional Performance Gaurantee) के रूप में ली जावे।



2(ii) उपरोक्तानुसार अव्यवहारिक दरों (unworkable rates) हेतु अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि लिये जाने की सूचना निविदा स्वीकृति की सूचना (Letter of acceptance) के साथ ही दी जावे एवं यह उसी प्रारूप में लिया जावे, जिस प्रारूप में अरनेस्ट मनी/निविदा की परफारमेंस गारन्टी (Earnest Money/ Contract Performance Gaurantee) ली जाती है।

2(iii) उपरोक्तानुसार अव्यवहारिक दरों (unworkable rates) के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि लेने के उपरान्त ही अनुबंध निष्पादित किया जावे।

2(iv) उपरोक्तानुसार अव्यवहारिक दरों (unworkable rates ) के लिए ली गई अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि ठेकेदार द्वारा मापदण्ड अनुसार सम्पादित कराये गये कार्यों की मात्रा के अनुपात में समय-समय पर चल देयकों से विमुक्त (Release) की जावे। जिसके संबंध में शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-53/2/2011/ यो/19/2807, दिनांक 11.07.2018 जारी किया गया है।

3/ उपरोक्तानुसार अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि की गणना के लिए निम्नानुसार गणितीय विधि अपनाई जावे:-

3(अ) यदि निविदा की अनुमानित लागत (PAC) 100 लाख है तथा सफलतम निविदाकार (L-1) द्वारा 20 प्रतिशत Below SOR की दर पर अनुबंध करने के लिए :-

- शासन द्वारा मान्य व्यवहारिक दर (workable rates) 10% (प्रतिशत) एस.ओ.आर. से कम की राशि के अनुसार अनुबंध की राशि (Amount of Contract) =  $100 \times 10\%$  = 10 लाख,  $100 - 10 = 90$  लाख,
- अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि  $\Rightarrow$  शासन द्वारा मान्य व्यवहारिक दर (Workable rate) 10% एस.ओ.आर. से कम की राशि के अनुसार अनुबंधित राशि (Amount of Contract) i.e. 90 लाख - वास्तविक रूप से किये जाने हेतु अनुबंधित राशि (Actual Amount of contract) i.e. 80 लाख = रु. 10.00 लाख होगी।



3 (ब) यदि सफलतम निविदाकार (L-1) द्वारा 30 प्रतिशत एस.ओ.आर. से कम दर दी जाती है तो अनुबंध करने के लिए :-

- अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि की गणना शासन द्वारा मान्य व्यवहारिक दर (workable rates ) 10 प्रतिशत के अनुसार राशि i.e. 90 लाख - सफलतम निविदाकार (L-1) द्वारा दी गई दर के अनुसार वास्तविक अनुबंधित राशि (Actual Amount of Contract) = (90 - 70) = 20.00 लाख होगी।

अतः यदि 30 प्रतिशत एस.ओ.आर. से कम दर सफलतम निविदाकार (L-1) द्वारा दी जाती है तो अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि उपरोक्तानुसार रु. 20 लाख ली जावे।

4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं इसे जारी किये जाने की तिथि के पश्चात् आमंत्रित सभी निविदाओं में Bid Data Sheet की कंडिका क्र. 22 के प्रावधान में जोड़ा जावे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग में इस आदेश के जारी किये जाने की तिथि के पूर्व सम्पादित किये गये अनुबंधों में पूर्व से ली गई अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी (Additional Performance Gaurantee) की राशि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(आर.के. मेहरा)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

ब्लोक निर्माण विभाग

10.08.2022

पृ.क्रमांक एफ-3/02/2022/यो/19/2823 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
  2. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. भोपाल।
  3. प्रबंध संचालक, एम.पी.आर.डी.सी.।
  4. प्रबंध संचालक, बी.डी.सी.।
  5. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
  6. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. मध्यप्रदेश।
  7. समस्त अधीक्षण यंत्री, मण्डल कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.।
  8. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश।
  9. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. मध्यप्रदेश।
  10. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



10.08.2022

सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 मार्च 2020—चैत्र 8, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2020

क्र. 237-67-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

## मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 1 सन् 2020

## मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020

[ "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक २८ मार्च, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020 है।

## संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम क्रमांक 18 एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 18 सन 2005 ) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्याधीन प्रभावी होगा।

3. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन्

धारा 9 का संशोधन.

2005) में, धारा 9 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-

“(4) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार रूपए 4443.00 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी, जो कि उपधारा (2) में उल्लिखित किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा।”।

4. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक दो सन (1899 का दो) धारा 5 में विनिर्दिष्ट संशोधनों 1899 का अस्थाई रूप से संशोधित के अध्याधीन प्रभावी होगा।  
किया जाना

5. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) को, मध्यप्रदेश राज्य को लागू इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित हुए रूप में केन्द्रीय किया जाए:-  
अधिनियम, 1899 का संख्यांक 2 की अनुसूची 1-क का संशोधन.

अनुसूची 1-क में,- (1) अनुच्छेद 6 में, खण्ड (छ ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(छ ख) कोई संकर्म संविदा, जिसमें संविदा के सम्यक् अनुपालन अथवा किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने वाला कोई करार अंतर्विष्ट हो और जो कोई विकास अथवा निर्माण करार अथवा प्रतिभूति बंध पत्र न हो-

(एक) यदि संविदा मूल्य पचास लाख पांच सौ रूपए रूपए तक है

(दो) यदि संविदा मूल्य पचास लाख पांच लाख रूपए की रूपए से अधिक है अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए संविदा मूल्य का 0.1 प्रतिशत”।

(2) अनुच्छेद 38 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(ख) किसी भी कालावधि का खनन पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार सम्मिलित है -

(एक) मुख्य खनिज के मामले में

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का 2 प्रतिशत।

(दो) गौण खनिज के मामले में

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का 1.25 प्रतिशत।”।

भोपाल  
तारीख 27 मार्च, 2020

लाल जी टंडन  
राज्यपाल  
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2020

क्र. 237-67-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

## MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO. 1 OF 2020

## THE MADHYA PRADESH FINANCE ORDINANCE, 2020

[ First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28 March, 2020. ]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005, and Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- |   |   |
|---|---|
| <b>Short title and commencement.</b>                                | 1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Finance Ordinance, 2020.<br>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.   |
| <b>Madhya Pradesh Act No. 18 of 2005 to be temporarily amended.</b> | 2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005) shall have effect subject to the amendment specified in section 3.  |
| <b>Amendment of section 9.</b>                                      | 3. In the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), in section 9, after sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-<br>“(4) Notwithstanding any limit or target contained in sub-section (2), the State Government may receive an additional loan of Rupees 4,443.00 crore during the financial year ending 31 <sup>st</sup> March 2020, which shall not be reckoned against any limit or target contained in sub-section (2).” |

Central Act No. II of 1899 to be temporarily amended.

Amendment of Schedule I-A to the Central Act II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

4. During the period of operation of this Ordinance, the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall have effect subject to the amendment specified in sections 5.

5. The Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided:-

In Schedule I-A,-(1) in article 6, for clause (gb), the following clause shall be substituted, namely:-

“(gb) Work contract, not being a development or construction agreement or a Security Bond, containing an agreement to secure the due performance of a contract or due discharge of a liability-

(i) If contract value is upto five hundred rupees  
fifty lakh rupees

(ii) If contract value exceeds 0.1 percent of contract value  
fifty lakh rupees subject to a maximum of five lakh rupees.”

(2) in article 38, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) Mining Lease, of any term including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease-

(i) in case of major mineral 2% for the whole amount payable or deliverable under such lease.

(ii) in case of minor mineral 1.25% for the whole amount payable or deliverable under such lease.”.

BHOPAL :  
DATED, THE 27th MARCH, 2020.

LAL JI TANDON  
Governor  
Madhya Pradesh.

मध्य प्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक / 400 / 1248 / 2018 / 19 / यो

भोपाल, दिनांक ०६/०५/२०१८

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
भोपाल

विषय: टेंडर डाक्यूमेंट में परफॉर्मेंस गारंटी पीरियड एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट के सम्बन्ध में।  
संदर्भ: आपकी टीप क्रमांक सर्कुलर/शामान्य/लोनिवि./२०१८/२७० दिनांक १५.०३.२०१८

राज्य शासन एतद् द्वारा बिड डाक्यूमेंट में बिड डाटा शीट एवं गारंटेड डाटा शीट में आपके प्रस्ताव एवं अनुशंसा के दृष्टिगत निम्नानुसार संशोधन करता है :-

Clause No.	Particulars	Existing Data	Amended Data
18	Defect Liability Period as below	<p>(A) For Road Works (i) For New Road (Bituminous) Construction along with granular crust- 5 Years. (ii) For New Road (Concrete) Construction - 5 Years; (iii) For Renewal with BT layer less than 30mm thick; - 3 Years. (iv) For Renewal with BT layer more than 30mm thick. 5 Years. (B) For Bridge Works - 5 Years to execute, complete and maintain works in accordance with agreement and special conditions of contract (SCC) after issue of physical completion certificate as per "Annexure-II" Note : In accordance with clause 18.3 (GCC), the Engineer in Charge shall intimate the contractor about the cost assessed, for making good the defects, and if the contractor has not corrected defects, action for correction of defects shall be taken by the Engineer in Charge as below: (a) deploy departmental labour and material or (b) engage a contractor by issuing a work order at contract rate/SOR rate or (c) sanction supplementary work in a existing agreement to a contractor for zonal works or other similar work or (d) invite open tender or (e) combination of above (Amended vide Govt. Memo No F.</p>	<p>(A) For Road Works (i) For New Road (Bituminous) Construction along with granular crust (including strengthening) - 5 Years. (ii) For New Road (Concrete) Construction (including strengthening) - 5 Years (iii) For Renewal with BT layer equal to or less than 30mm thickness - 3 Years. (iv) For Renewal with BT layer more than 30mm thickness: 5 Years. (B) For Bridge Works 3 Years to execute, complete and maintain works in accordance with agreement and special conditions of contract (SCC) after issuance of physical completion certificate as per "Annexure-U" (C) For Building Works - 3 Years (D) For Road Maintenance - 1 Year (The work of strengthening and renewal shall not be treated as road maintenance work) (E) For Building Maintenance Works - 1 Year (Except for water proofing works and the works in which specific guarantee period is mentioned). Note: In accordance with Clause 18 the defects observed in the works during the Defect Liability Period shall be intimated by the Engineer.</p>

*Handwritten signature*  
6/5/18

Clause No	Particulars	Existing Data	Amended Data
		S3/2/2011/19/Yo.1959 dt 28-05-2013 & 03-05-2016)	<p>in-Charge to the contractor and the contractor shall rectify the defects promptly. In case the defects are not removed in reasonable time, the same can be got done by the Engineer-in-Charge by way of-</p> <p>(a) deploying departmental labour and material or</p> <p>(b) engaging a contractor by issuing a work order at contract rate/SOR rate</p> <p>or</p> <p>(c) sanctioning supplementary work in an existing agreement to a contractor for zonal works or other similar work</p> <p>or</p> <p>(d) inviting open tender</p> <p>or</p> <p>(e) combination of above</p> <p>The Engineer-in-Charge shall assess the cost of such rectification which shall be recoverable from the contractor from his Performance Security or any amount due or that may become due to him and from other available securities. If this amount is not sufficient to meet the expenses incurred on rectification, the balance amount may be recovered as Land Revenue Arrears as per MPLRC</p>
29	Performance Guarantee (Security) shall be valid up to	Performance Guarantee (Security) should be valid up to three months beyond the completion of (Defect Liability Period (Maintenance Guarantee Period) and Additional Performance Guarantee if any should be valid up to stipulated time of completion plus 03 months.	<p>The upfront Bank Guarantee against Performance Security shall be taken for a period as mentioned below -</p> <p>(a) Works having Performance Guarantee of 5 Years- Construction Period + 3 Years + 3 Months.</p> <p>(b) Works having Performance Guarantee of 3 Years- Construction Period + 2 Years + 3 Months.</p> <p>(c) Works having Performance Guarantee of 1 Year- Construction Period + 1 Year + 3 Months</p> <p>It is clarified that in case the construction period of the work is extended beyond the stipulated completion period, the Bank Guarantee against PG shall have to be got extended by the contractor for the relevant period so as to satisfy the validity criteria mentioned above.</p>
30.1	Security Deposit to be deducted from each running bill	At the rate of 5% of gross amount of running bill.	At the rate of 5% of gross amount of running bill

*[Signature]*  
5/11/18

Clause No.	Particulars	Existing Data	Amended Data
30.2	Maximum limit of deduction of Security Deposit	Upto 5% of the Final Contract Amount	Upto 5% of the Final Contract Amount
30.3	Refund of Security Deposit		The total Security Deposit deducted from the running bills shall be refunded (equivalent BG released) only after the completion of the Performance Guarantee Period/Extended Guarantee Period, if any
22	Performance Security valid up to	Valid contract period (stipulated period of completion + D.L.P) + 3 months.	As provided in the Contract Data.

सहपत्र:- शून्य

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आम्रभानुसार

*(Signature)*  
5/11/2018  
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)  
सचिव

पू.क्रमांक/40 /1246/2018/19/घो  
प्रतिलिपि:-

*(Signature)*  
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक 06/01/2018

- 1- प्रधान संचालक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पो. लि., भोपाल।
- 2- परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. भोपाल।
- 3- समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.।
- 4- समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र.।
- 5- समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 6- समस्त संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र.।
- 7- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त सहायी परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र.।
- 9- निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

सहपत्र:- शून्य

*(Signature)*  
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग